राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राज. जयपुर)

क्रमांक : एफ 20(312)/निजभूस/पीएफसी/2022/ 4660-4770 दिनांक : 06/05/2022

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला– समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जलग्रहण विकास घटक) की परियोजनाओं में माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक 4335–428 दिनांक 05.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र क्रम में लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जलग्रहण विकास घटक) अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में स्वीकृत परियोजनाओं के सम्पादन के लिये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये हैं:–

1. समस्त करवाये गये कार्यों का ग्राम सभाओं में समाजिक अंकेक्षण करवाया जावे।
2. डी.पी.आर. का अनुमोदन ग्राम सभा में करवाया जावे।
3. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर की सभी बैठकों में स्थायी एजेंण्डा बनाया जाकर योजना की जानकारी जिसमें योजना में करवाये जा रहे कार्य, उन पर व्यय की जा रही राशि, कार्यों की उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जानकारी दी जावे।

माननीय मंत्री महोदय के उपरोक्त निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 20(312)निजभूस/पीएफसी/2022/ 4660-4770 दिनांक : 06/05/2022
प्रतिलिपिः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शाासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
6. संयुक्त निदेशक(समस्त), निदेशालय जयपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त।
8. ए.सी.पी. निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक